

FORM No. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान रिष्पाल बनाम गौरु वडो

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. 45 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
13 ⁰⁴ / ₁₇	<p>वकील वादी श्री रामेश्वर लाल तेत्र-वाल एड. ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। वाका दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिफ तम्बन की जाकर पत्रावली दिनांक 27-04-2017 को पेश हो।</p> <p>21 ⁰⁴/₁₇</p> <p>हुकमदारी पेशी वने पर पत्रावली अहकाम हुई</p> <p>अधिकतमम उरुप तम्बन तम्बनम न</p> <p>प्रतिवादीगण वने पर प्रति कार्यवाही वने</p> <p>दिनांक 08-08-2017 को पेश हो।</p>	<p>1610-12</p> <p>20/4/17</p>
28 ⁰⁶ / ₁₇	<p>वकील वादी दुबारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली बर्क नियत तारीख पेशी ते तलब की जाकर आज पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी वने। ता 2 की ओर से वाजीनामा पेश हुआ। वादी की पहचान श्री रामेश्वर लाल तेत्र-</p>	 <p>45</p> <p>श्री</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
-------------	---------------------------------------	---

पक्षकारान राजीनामा काद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं राजीनामा के विद्युत् को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा यावा डिप्टी फरमाने जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर भूमिधारी तहसीलदार खजेला ने अनापत्ति जाहिर की।

पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं पेशगुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील प्रार्थी/वादी का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वर्तमान में काद राजीनामा कोई विवाद इस न्यायालय की दृष्टि में कोई विवाद वर्तमान में नहीं होना पाया जाता है। अतः पक्षकारान की आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना के मध्येनजर वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिप्टी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :-

घोषणा/आदेश

तन ग्राम बरसिंहपुरा तहसील खजेला स्थि कृषि भूमि ख० न० 184 ता 183 रकबा 4.43 हे० में 1/16 हिस्सा गैर मुकदमा कि रतना व 1/16 हिस्सा गैर मुकदमा



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
-------------	---------------------------------------	---

गौरु, मुकुन्दा पिं रतना के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्त वरावर बराबर ज़ातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है एवं कृषि क्षमि ख० नं० 79, 80, 200, 222, 223, 362 व 365, 425, 426 रकबा 14.22 है। 1/4 हिस्सा गौरु मुकुन्दा पिं रतना व 1/4 हिस्सा गौरु, मुकुन्दा, रिषपाल, माता, जीजूडेवी के स्थान पर 1/2 हिस्सा के वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्त वरावर बराबर ज़ातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है एवं कृषि क्षमि ख० नं० 274 रकबा 1.19 है। 1/5 हिस्सा गौरु, मुकुन्दा पिं रतना व 1/5 हिस्सा गौरु, मुकुन्दा, रिषपाल, माता, जीजूडेवी के स्थान पर 2/5 हिस्सा के वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्त वरावर बराबर ज़ातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है तथा 1/5 हिस्सा रामेश्वर, बीरबल पिं नानू का नाम बफन्दूर रखा जाता है एवं कृषि क्षमि ख० नं० 218 व 220 रकबा 2.79 है। 68/279 हिस्सा गौरु पिं रतना व 68/279 हिस्सा मुकुन्दा व रतना एवं 21/279 हिस्सा रिषपाल व रतना के स्थान पर 157/279 हिस्सा के वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्त वरावर बराबर ज़ातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इफ्तानुका राजानु रिजर्ज के अमल प्रथम है तदनुका प्रकला में फर्क उिही मुतीव है। पत्रावली के अमल मुकल लोश अमर से कम है तथा बाद तदुमील गणिल इफतर है।



22/11/22
 धामीराम राव
 उपजज (कार्यवाही)
 जयपुर (राजस्थान)

× जाति जाट निवासी बरसिंगपुरा तहसील जिला सीकर (राज.)

- (कापी)

बनाम

× पुत्रगण शतना जाति जाट निवासी बरसिंगपुरा तहसील जिला सीकर (राज.)

① भूमिधारी तहसीलदार जिला

- (प्रतिवादी)

×

× ता 178, 181, 182, 192 ता 198 रकबा 5.34 हे में 1/3 हिस्सा गौड़ मुकुन्दा पि शतना के लिये पर वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के बहिना बराबर बराबर जतेदार काश्तकार फर्ज किया जाता है एवं कृषि भूमि क्र. सं 79, 80, 200, 222, 223, 362 ता 365, 425, 426 रकबा 14.22 हे में 1/4 हिस्सा गौड़ मुकुन्दा पि शतना व 1/4 हिस्सा गौड़, मुकुन्दा रिछपाल भाग जीबूडेवी के लिये पर 1/2 हिस्सा के वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के बहिना बराबर बराबर जतेदार काश्तकार फर्ज किया जाता है एवं कृषि भूमि क्र. सं 274 रकबा 1.13 हे 1/5 हिस्सा गौड़ मुकुन्दा पि शतना व 1/5 हिस्सा गौड़ मुकुन्दा रिछपाल भाग जीबूडेवी के लिये पर 2/5 हिस्सा के वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के बहिना बराबर बराबर जतेदार काश्तकार फर्ज किया जाता है तथा 1/5 हिस्सा रामेश्वर वीरबल पि नाथ का नाम वपस्तर रखा जाता है एवं कृषि भूमि क्र. सं 218 ता 220 रकबा 2.79 हे में 68/279 हिस्सा गौड़ पि शतना व 68/279 हिस्सा मुकुन्दा पुत्र शतना एवं 21/279 हिस्सा रिछपाल पुत्र शतना के लिये पर 157/279 हिस्सा के वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के बहिना बराबर बराबर जतेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल प्रामाण्य हो।



(Handwritten signature)

जिला अधिकारी
जिला सीकर (राज.)